महत्वपूर्ण

संख्या– 1115 / नौ–9–2021–एल0सी0–21

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,** स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. **समस्त जिलाधिकारी,** उ0प्र0।
3. **समस्त नगर आयुक्त,** नगर निगम, उ0प्र0।
4. **समस्त अधिशासी अधिकारी,** नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ दिनांक 11 जून, 2021**

विषय–प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (पूर्व में नगरीय हेल्थ पोस्ट) / हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर / सब सेण्टर आदि को मा0 महापौर, नगर निगम, मा0 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत / पार्षदगण / सभासदगण द्वारा गोद लेने हेतु अनुरोध करने / प्रेरित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1061 / नौ–9–2021–एल0सी0–21, दिनांक–30.05.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (पूर्व में नगरीय हेल्थ पोस्ट) आदि को मा0 महापौर, नगर निगम, मा0 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत / पार्षदगण / सभासदगण द्वारा गोद लेने हेतु अनुरोध करने / प्रेरित करने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त के अतिरिक्त नगरीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत स्थित ऐसे स्वारूथ्य केन्द्रों के पहुंच मार्ग की मरम्मत / पुनर्निर्माण किये जाने के संबंध में निर्देश शासनादेश संख्या–1057 / नौ–9–2021–एल0सी0 / 21, दिनांक–27.05.2021 द्वारा निर्गत किये गये है।

2. आप अवगत ही है कि कोविड–19 तथा अन्य संचारी रोगो के संक्रमण को रोकने, उपचार एवं Vaccination आदि में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (पूर्व में नगरीय हेल्थ पोस्ट) के अतिरिक्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर / सब सेन्टर आदि की भूमिका भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व निर्गत शासनादेश सं0–1061 / नौ–9–2021–एल0सी0–21, दिनांक–30.05.2021 के क्रम में नगरीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (पूर्व में नगरीय हेल्थ पोस्ट) के अतिरिक्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर / सब सेन्टर आदि को भी गोद लेने (Adopt करने) के लिये मा0 महापौर, नगर निगम, मा0 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत से अनुरोध किया जाय। उक्त केन्द्र जिन वार्डो में स्थित है उनके पार्षदगण / सभासदगण को भी गोद लेने हेतु प्रेरित किया जाय। इन केन्द्रों पर स्थित आधारभूत संरचना के सुधार में मा0 महापौर, नगर निगम, मा0 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, स्थानीय निकाय निधि तथा राज्य वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में अनुमन्यता की स्थिति में कर सकते हैं। उक्त निर्वाचित मा0 जनप्रतिनिधि इस कार्य में लब्ध प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों

का सहयोग भी प्राप्त कर सकते है। मा0 महापौर/मा0 अध्यक्ष द्वारा उपर्युक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधा आदि के लिये अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिये **चेक लिस्ट एवं आवश्यक कार्यवाही** निम्नवत् सुनिश्चित की जायेगी :–

1. स्वास्थ्य केन्द्र की वार्षिक रंगाई–पुताई, उपचार हेतु आने वाले मरीजों एवं तीमारदारों के लिये पेयजल तथा बैठने एवं प्रतीक्षा हेतु आवश्यकतानुसार शेड आदि की व्यवस्था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के इस हेतु उपलब्ध बजट के माध्यम से की जाये। उपर्युक्त का सामान्य रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।
2. नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंच मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण की कार्यवाही शासनादेश दिनांक–27.05.2021 के कम में सुनिश्चित करायी जाये एवं केन्द्र के आस–पास प्रकाश आदि की समुचित व्यवस्था की जाये।
3. स्वास्थ्य केन्द्र के आस–पास सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुये नियमित रूप से सफाई करायी जाये। विशेष सफाई अभियान के दौरान प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को निकाय क्षेत्रान्तर्गत स्थित स्वास्थ्य केन्द्र आदि के परिसर एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुये साफ सफाई, कूड़ा (बायोमेडिकल वेस्ट के अतिरिक्त) उठाने की व्यवस्था एवं सैनेटाईजेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
4. जल भराव के कारण होने वाले संक्रामक रोगो के रोकथाम के लिये एण्टी लार्वा का छिड़काव तथा फॉगिंग करायी जाये एवं जल भराव को रोकने के लिये जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।
5. नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध चिकित्सीय उपकरणों एवं औषधियों की उपलब्धता एवं आवश्यकता, यदि चिकित्सीय उपकरण एवं औषधिया पर्याप्त न हो तो इस कार्य हेतु स्वैच्छिक दानदाताओं को प्रेरित करते हुये उनके माध्यम से चिकित्सीय उपकरण एवं औषधियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा सकती है।
6. नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियमित उपस्थिति की सूचना सबंधित जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की जाये। तैनात चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ का उत्साहवर्धन करते हुये उन्हें और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रेरित किया जाये।
7. जनसामान्य को स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं आदि की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क/गोष्ठी कार्यकमों का आयोजन किया जाये। विशेष दिवसों में Vaccination आदि के लिये जनसामान्य की सहभागिता हेतु जागरूकता कैम्प का आयोजन किया जाये।

कृपया उपर्युक्तनुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराते हुये गोद लिये गये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (पूर्व में नगरीय हेल्थ पोस्ट)/हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर/सब सेन्टर की संकलित सूचना शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. मा0 महापौर समस्त नगर निगम/मा0 अध्यक्ष, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
5. सहायक वेबमास्टर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

RATAKAR SIR GOS NEWLY NOV 2020

शासनादेश संख्या– 1115 /नौ–9–2021–एल0सी0–21, दिनांक– 11 जून, 2021

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर/सब सेन्टर के संबंध में चेक लिस्ट

1. स्वास्थ्य केन्द्र की वार्षिक रंगाई–पुताई, उपचार हेतु आने वाले मरीजों एवं तीमारदारों के लिये पेयजल तथा बैठने एवं प्रतीक्षा हेतु आवश्यकतानुसार शेड आदि की व्यवस्था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के इस हेतु उपलब्ध बजट के माध्यम से की जाये। उपर्युक्त का सामान्य रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।
2. नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंच मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण की कार्यवाही शासनादेश दिनांक–27.05.2021 के कम में सुनिश्चित करायी जाये एवं केन्द्र के आस–पास प्रकाश आदि की समुचित व्यवस्था की जाये।
3. स्वास्थ्य केन्द्र के आस–पास सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुये नियमित रूप से सफाई करायी जाये। विशेष सफाई अभियान के दौरान प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को निकाय क्षेत्रान्तर्गत स्थित स्वास्थ्य केन्द्र आदि के परिसर एवं उसके आस–पास के क्षेत्रों में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुये साफ सफाई, कूडा (बायोमेडिकल वेस्ट के अतिरिक्त) उठाने की व्यवस्था एवं सैनेटाईजेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
4. जल भराव के कारण होने वाले संक्रामक रोगो के रोकथाम के लिये एण्टी लार्वा का छिड़काव तथा फॉगिंग करायी जाये एवं जल भराव को रोकने के लिये जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।
5. नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध चिकित्सीय उपकरणों एवं औषधियों की उपलब्धता एवं आवश्यकता, यदि चिकित्सीय उपकरण एवं औषधिया पर्याप्त न हो तो इस कार्य हेतु स्वैच्छिक दानदाताओं को प्रेरित करते हुये उनके माध्यम से चिकित्सीय उपकरण एवं औषधियों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा सकती है।
6. नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियमित उपस्थिति की सूचना सबंधित जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की जाये। तैनात चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ का उत्साहवर्धन करते हुये उन्हें और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रेरित किया जाये।
7. जनसामान्य को स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं आदि की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सम्पर्क/गोष्ठी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये। विशेष दिवसों में Vaccination आदि के लिये जनसामान्य की सहभागिता हेतु जागरूकता कैम्प का आयोजन किया जाये।